विविध वाद सं0 : 33/2008–09
216/2006–07

(हसीना बानो बनाम एनुल हक)

आदेश

सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना विपक्षी ऐनूल हक पे0 : सईद अंसारी के नाम से पंजी।। में कायम किए गए जमाबंदी को रद्द किए जाने हेतु आवेदिका हसीनाबानू पत्नी मो0 मोइनुद्दीन , सा0 : डाँडीडीह थाना : मुफ्फस्सिल गिरिडीह के द्वारा दायर किए गए इस वाद में निहित भूमि की विवरणी निम्न है–

मौजा	थानानं0	खातानं0	खेसरानं0	रकबा
डाँडीडीह	234	49	1371	0.04ए0

वाद की कार्रवाई आरंभ किए जाने हेतु आवेदिका के द्वारा दिए गए आवेदन तथा उनके दावा के विरूद्ध अंचल अधिकारी गिरिडीह के पत्रांक 1321 दि0 22.11.2007 के द्वारा प्राप्त जाँच–प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादगत भूखंड सर्वे रैय्यती खाता की भूमि है। इस भूखंड का क्रय निबंधित केवाला दि0 10.09.87 के द्वारा पखरूद्दीन शेख ने किया। पखरूद्दीन शेख वो उने पुत्र मो0 बशीर के फौत कर जाने के बाद स्व0 बशीर के पुत्र हलीम शेख के द्वारा इसकी बिक्री निबंधित केवाला सं0 457 दि0 23.02.98 के द्वारा इस वाद की आवेदिका हसीना बानू को कर दी गई। क्रय के पश्चात आवेदिका वादगत भूमि पर दखलकार हुई तथा उसपर मकान बनाकर वे वास भी कर रही हैं। अंचल अधिकारी गिरिडीह के पत्रांक 1321 दि0 22.11.2007 के द्वारा प्राप्त ह0क0 तथा अं0नि0 के प्रतिवेदन के अनुसार बिक्रेता हलीम शेख के द्वारा आवेदिका को वादगत भूमि की बिक्री किए जाने के पूर्व इसी भूमि के रकबा 0.03 ए0 भूखंड की बिक्री अपने पुत्री रबिया प्रवीण को भी निबंधित केवाला दि0 13.06.94 के द्वारा की गई थी। विवाद उत्पन्न होने पर हलीम शेख ने अपनी पुत्री रबिया प्रवीण के द्वारा निबंधित केवाला दि0 02.09.98 के माध्यम से पुनः 0.03ए0 भूखंड को इस वाद की आवेदिका के नाम से निबंधित करा दिया गया

और इस प्रकार आवेदिका पूर्व से प्राप्त रकबा 0.04 ए0 के निर्विवाद रूप से दखलकार और अधिकारी हुई। ह0क0 तथा अं0नि0के द्वारा आगे उनके प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिक्रेता हलीम शेख वो उनकी पत्नी मुजीबन निशा के द्वारा पुनः वादगत खाता खेसरा सं0 1371 में ही रकबा 0.065 ए0 की बिक्री निबंधित विलेख सं0 2963 दि0 21.07.98 के द्वारा एनुल अंसारी (इस वाद के विपक्षी) को कर दी गई। निबंधित विलेख सं0 2963 के recital में यह उल्लेख किया गया कि बिक्री की जा रही भूमि उन्हें निबंधित केवाला सं0 2732 दि0 02.09.71 , 11518 दि0 27.09.83 , 12476 28.10.83 वो 9926 द0 10.09.87 के द्वारा प्राप्त है। निबंधित विलेख सं0 2963 के द्वारा एनुल अंसारी को प्राप्त इस भूमि का दाखिलखारीज अंचल कार्यालय के वाद सं0 166/2004–05 के अंतर्गत किए जाने का उल्लेख पंजी।। के जमाबंदी पृष्ठ में प्राप्त है। पंजी पृष्ठ के इन्द्राज के अनुसार दाखिलखारीज के कम में 0.04 ए0 भूखंड हलीम शेख के नाम से कायम जमाबंदी पृष्ठ सं0 167(2) से तथा अवशेष 0.025 ए0 भूखंड हलीम शेख की पत्नी मुजीबन निशा के नाम से कायम जमाबंदी पृष्ठ सं0 45(2) से घटा दी गई। इस त्रुटिपूर्ण क्रिया के कारण आवेदिका के द्वारा कय की गई और दखलकार भूमि के दाखिलखारीज वाद के निष्पादन में अंचल कार्यालय के द्वारा असमर्थता व्यक्त की जा रही है और वाद का यह स्वरूप इस न्यायालय में विचारण हेतु लाया गया है।

पक्ष तथा विपक्ष के द्वारा दिए गए तर्क , अभिलेख अंतर्गत ह0 क0 तथा अं0 नि0 के जाँच–प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि दोनों ही पक्ष अपनी–अपनी खरीदी गई भूखंड के दखलकार हैं और इस बिंदू पर उनके बीच कोई भी विवाद नहीं है। विवाद का मुख्य विषय निबंधित विलेख सं0 2963 के आधार पर अंचल कार्यालय से निष्पादित दाखिलखारीज वाद सं0 166/2004–05 के निष्पादन के कम में संपन्न त्रुटि है। वस्तुतः विपक्षी के नाम से कय किए गए संपूर्ण रकबा 0.065 ए0 का नामांतरण हलीम शेख की पत्नी मुजीबन निशा के नाम से कायम जमाबंदी पृष्ठ सं0 45(2) से किए जाने तथा हलीम शेख के नाम से कायम जमाबंदी

खेसरा नं० 167(2) में दर्ज पूर्व के रकबा 0.04 ए0 को पुनः इन्द्राज कर आवेदिका पक्ष के नामांतरण के विचारण मात्र से दाखिलखारीज वाद सं0 166/2004–05 के निष्पादन के क्रम में संपन्न त्रुटि का निराकरण और इस विवाद का निबटारा हो जाता है। अतः उर्पयुक्त underlined जमाबंदी सुधार के आदेश के साथ इस वाद–अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराते हुए अनुपालन के लिए आदेश की प्रति अंचल–अधिकारी गिरिडीह को भेजी जाए।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।